इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जून 2013—ज्येष्ठ 15, शक 1935

सामाजिक न्याय विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2013

क्र. एफ-1-9-2002-छब्बीस-1.—नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 01) की धारा 60 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **श्री बलदीप सिंह मैनी,** मैनी विला, गोरखपुर थाने के पीछे, जबलपुर, मध्यप्रदेश को दिनांक 5 जून 2013 से 3 वर्ष (तीन वर्ष) के लिये नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से **अवैतनिक** होगी.

(2) आयुक्त नि:शक्तजन का दर्जा राज्य शासन के सचिव के समकक्ष रहेगा.

(3) आयुक्त, नि:शक्तजन का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(4) राज्य सरकार लोकहित में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त को किसी भी समय हटा सकेगी, परन्तु उन्हें सूचित किये बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जायेगा. नि:शक्त व्यक्तियों के लिये आयुक्त, राज्य सरकार को लिखित में 15 (पन्द्रह) दिन के पूर्व सूचना के पश्चात् पद त्याग भी कर सकेगा.

No. F-1-9-2002-XXVI-1.—State Government hereby on exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 60 of the Persons with Disabilities (Equal opportunities protection of Rights and full Participation) Act, 1995 (No.1 of 1996), appoint **Shri Baldeep Singh Maini,** Maini Vila Behind Gorakhpur Police Station Jabalpur Madhya Pradesh as Commissioner for Persons with Disabilities, Madhya Pradesh for three years from the date of 5th June 2013 for the purposes of the said act. The appointment shall be **fully honorary.**

(2) Commissioner for Persons with Disabilities shall be equivalent to the status of the Secretary of the State Government.

(3) The Headquarter of Commissioner for Persons with Disabilities shall be at Bhopal.

(4) The State Government may remove the Commissioner for Persons with Disabilities at any time in the public interest, but such order shall not be passed without giving reasonable opportunities to him. The Commissioner for Persons with Disabilities may also resign after giving 15 days prior notice in writing to the State Government.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बाथम, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.